रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-04072024-255163 CG-WB-E-04072024-255163

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 3, 2024/आषाढ 12, 1946 No. 480] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 3, 2024/ASHADHA 12, 1946

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

अधिसूचना

चेन्नई, 10 जून, 2024

सं. आईएमयू/मुख्यालय/एडीएम/अधिसूचना/2024/02.—भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 का 22) की धारा 47(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचना सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:

#	अध्यादेश/अधिसूचना	विवरण	कार्यकारी परिषद संकल्प
1	क़ानून 34(1)	महाविद्यालयों का प्रवेश, विश्वविद्यालय के	
		विशेषाधिकार के लिए - आईएमयू के साथ	संशोधित
		संबद्धता के लिए आशय पत्र (एलओआई)	
		जमा करने की अंतिम तिथि।	
2	2024 का अध्यादेश	भा.स.वि. परिसरों के छात्रों द्वारा देय	कार्यकारी परिषद संकल्प सं.ईसी 2015-31-29
	क्रमांक 1	सेमेस्टर फीस	दिनांक 26-06-2015 को ईसी 2023-72-13
			दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से संशोधित
			किया गया।

3967 GI/2024 (1)

3	2024 का अध्यादेश क्रमांक 2	परीक्षा, दीक्षांत समारोह और विभिन्न अन्य उद्देश्यों के लिए शुल्क और पारिश्रमिक	ईसी 2020-54-21 दिनांक 09.07.2020] प्रसारण सं 05 दिनांक 08.12.2021 में ईसी एजेंडा 2021 के माध्यम से संशोधित किया गया और ईसी 2023-72-14 दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से संशोधित किया गया।
4	2016 का विनियम	कार्यकारी परिषद की बैठकों के संचालन के	ईसी- 2024-76-06 दिनांक 11-03-2024 द्वारा
	01	लिए विनियम	संशोधित।
5	2016 का विनियम	अकादमिक परिषद की बैठकों के संचालन	ईसी- 2024-76-15 दिनांक 11-03-2024 द्वारा
	03	के लिए विनियम	संशोधित।
6	अधिसूचना	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के प्रत्येक परिसर द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक परिसरों के संबंध में संपदा अधिकारी की नियुक्ति	ईसी- 2015-30-31 दिनांक 25-02-2015

ध्यान दें : इस दस्तावेज़ के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। संशोधित क़ानून **34(1)(iv)**

[ईसी 2023-74-11 दिनांक 12-12-2023)

	L '	720-14-11 (Q-111) 12-12-2020)	
क्र.सं	निम्न के लिए संबद्धता:	अगस्त बैच के लिए एलओआई	फरवरी बैच के लिए एलओआई जमा
		जमा करने की तिथि	करने की तिथि
	विश्वविद्यालय के किसी भी	पिछले वर्ष के 15 अगस्त से पहले	पिछले वर्ष की 15 जनवरी से पहले
1	विशेषाधिकार में प्रवेश के इच्छुक	नहीं, जिस वर्ष से आवेदन की गई	नहीं, जिस वर्ष से आवेदन की गई
	महाविद्यालयों और संस्थानों को ऐसा	अनुमति प्रभावी होगी।	अनुमति प्रभावी होगी।
	करने के अपने इरादे को लिखित रूप		
	में सूचित करना होगा ताकि		
	कुलसचिव तक पहुंच सके, जिस		
	तारीख से आवेदन की गई अनुमति		
	प्रभावी होगी।		
	गैर-डीजीएस कार्यक्रमों में प्रवेश के	पिछले वर्ष के 15 दिसंबर से	पिछले वर्ष की 15 जुलाई से पहले
	इच्छुक महाविद्यालयों और संस्थानों	पहले नहीं, जिस वर्ष से आवेदन	नहीं, जिस वर्ष से आवेदन की गई
2	को ऐसा करने के अपने इरादे को	की गई अनुमति प्रभावी होगी।	अनुमति प्रभावी होगी।
	लिखित रूप में सूचित करना होगा		-
	ताकि कुलसचिव तक पहुंच सके, जिस		
	तारीख से आवेदन की गई अनुमति		
	प्रभावी होगी।		
	आईएमयू से पहले से ही संबद्ध	पिछले वर्ष के 15 दिसंबर से	पिछले वर्ष की 15 जुलाई से पहले
3	संस्थान के किसी भी मौजूदा कार्यक्रम	पहले नहीं, जिस वर्ष से आवेदन	नहीं, जिस वर्ष से आवेदन की गई
	के स्वीकृत प्रवेश में वृद्धि के इच्छुक	की गई अनुमति प्रभावी होगी।	अनुमति प्रभावी होगी।
	महाविद्यालयों और संस्थानों को ऐसा		
	करने के अपने इरादे को लिखित रूप		
	में सूचित करना होगा ताकि		
	कुलसचिव तक पहुंच सके, जिस		
	तारीख से आवेदन की गई अनुमति		
	प्रभावी होगी।		

ध्यान दें: मौजूदा क़ानून 34(1)(iv) का पाठ उपरोक्त अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2024 का अध्यादेश 01

[ईसी संकल्प सं.ईसी 2015-31-29 दिनांक 26-06-2015 को ईसी 2023-72-13 दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से संशोधित किया गया।]

भा.स.वि. परिसरों के छात्रों द्वारा देय सेमेस्टर/वार्षिक फीस और जुर्माना निर्धारित करने वाला अध्यादेश

1. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा देय सेमेस्टर फीस/वार्षिक फीस समय-समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले भा.स.वि. परिसरों के छात्रों पर लागू होने वाली सेमेस्टर/वार्षिक फीस इस प्रकार है:

भाग A- यूजी और पीजी कार्यक्रम

भा.स.वि. में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए छात्रों द्वारा देय फीस						
क्र.सं.'	<u>भा.स.।व. म</u> निवासी/गैर निवासी	<u>न ।वामन्न कायक</u> कुल शुल्क	<u>भाकालए छात्रा १</u>		<u>स</u> प्रति सेमेस्टर देय	प्र शुल्क
			एक शैक्षणिक	विषम सेमेर	ट र	सम सेमेस्टर
			वर्ष के लिए (रु.)	कार्यक्रम शुल्क (रु.)	सेमेस्टर शुल्क (रु.)	सेमेस्टर शुल्क (रु.)
1.	बी.टेक. (मरीन इंजीनियरिंग)	निवासी	2,75,000/-	30,000/-	1,22,500/-	1,22,500/-
	बी.टेक. (नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग)	निवासी	2,75,000/-	30,000/-	1,22,500/-	1,22,500/-
	बी.टेक. (नेवल आर्किटेक्चर एंड शीप बिल्डिंग)	निवासी	2,75,000/-	30,000/-	1,22,500/-	1,22,500/-
3.	बीएससी (नॉटिकल साइंस)	निवासी	2,75,000/-	30,000/-	1,22,500/-	1,22,500/-
4.	बीबीए (लॉजिस्टिक्स, रिटेलिंग और ई-कॉमर्स)	निवासी	1,05,000	30,000/-	25,000/-	50,000/-
5.	बीबीए अप्रेंटिसशिप एंबेडेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स	निवासी	1,05,000	30,000/-	25,000/-	50,000/-
6.	डीएनएस जो बीएससी (एप्लाइड नॉटिकल साइंस) की ओर अग्रणी है	निवासी	2,75,000/-	30,000/-	1,22,500/-	1,22,500/-
7.	एम.टेक. (नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग)	गैर निवासी	2,05,000/	30,000/-	- 87,500/-	87,500/-
8.	एम.टेक. (ड्रेजिंग एवं हार्बर इंजीनियरिंग)	गैर निवासी	2,05,000/-	30,000/-	87,500/-	87,500/-
9.	एम.टेक.(मरीन टेक्नोलॉजी)	गैर निवासी	2,05,000/-	30,000/-	87,500/-	87,500/-
10.	एमबीए (इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स)	गैर निवासी	2,05,000/-	30,000/-	87,500/-	87,500/-
11.	एमबीए (पोर्ट एवं शिपिंग प्रबंधन)	गैर निवासी	2,05,000/-	30,000/-	87,500/-	87,500/-
12.	पीजीडीएमई	गैर निवासी	3,55,000/-	30,000/-	1,62,500/-	1,62,500/-
13.	एम.एस.(अनुसंधान द्वारा)	गैर निवासी	1,80,000/-	30,000/-	1,50,00	Operyear

ध्यान दें: यदि गैर-निवासी कार्यक्रम 'का कोई बाहरी छात्र भा.स.वि. परिसर में रहना चाहता है (उपलब्धता और भा.स.वि. के विवेक के आधार पर), तो शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में एक किस्त में उसे प्रति वर्ष *70,000/-* रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।

भाग B-पीएचडी कार्यक्रम

<u>पीएच.डी. कार्यक्रम - पूर्णकालिक:</u>

क्रमांक	वर्षों की संख्या विवरण	शुल्क (रुपए में)
1	प्रथम 3 वर्ष	प्रति वर्ष 30,000
2	चौथा वर्ष और पांचवां वर्ष	प्रति वर्ष 40,000
3	छठा वर्ष	प्रति वर्ष 50,000
4	सातवें एवं आठवें वर्ष तक विस्तार	प्रति वर्ष 75,000
5	नववें और दसवें वर्ष तक विस्तार (केवल महिलाओं/विकलांग व्यक्तियों के लिए)	प्रति वर्ष 1,00,000

पीएच.डी. कार्यक्रम - अंशकालिक:

क्रमांक	वर्षों की संख्या विवरण	शुल्क (रुपए में)
1	प्रथम 4 वर्ष	प्रति वर्ष 60,000
2	पांचवां वर्ष और छठा वर्ष	प्रति वर्ष 75,000
3	सातवें एवं आठवें वर्ष तक विस्तार	प्रति वर्ष 1,00,000
4	नववें और दसवें वर्ष तक विस्तार (केवल महिलाओं/विकलांग व्यक्तियों के लिए)	प्रति वर्ष 1,50,000

एकीकृत पीएच.डी. कार्यक्रम - पूर्णकालिक:

क्रमांक	वर्षों की संख्या विवरण	शुल्क (रुपए में)
1	प्रथम 4 वर्ष	प्रति वर्ष 30,000
2	पांचवां वर्ष और छठा वर्ष	प्रति वर्ष 40,000
3	सातवें एवं आठवें वर्ष तक विस्तार	50,000
4	नववें और दसवें वर्ष तक विस्तार (केवल महिलाओं/विकलांग व्यक्तियों के लिए)	75,000
4	प्रथम 4 वर्ष	प्रति वर्ष 1,50,000

एकीकृत पीएच.डी. कार्यक्रम - अंशकालिक:

क्रमांक	वर्षों की संख्या विवरण	शुल्क (रुपए में)
1	पहले 5 वर्ष	प्रति वर्ष 60,000
2	छठा वर्ष और सातवां वर्ष	प्रति वर्ष 75,000
3	आठवें वर्ष तक विस्तार	1,00,000
4	नववें और दसवें वर्ष तक विस्तार (केवल महिलाओं/विकलांग व्यक्तियों के लिए)	प्रति वर्ष 1,50,000

पीएचडी कार्यक्रम के लिए विदेशी छात्रों के लिए शुल्क :

प्रति वर्ष US\$ 2000 के निर्धारित शुल्क + नीचे दी गई तालिका में दिए गए अन्य खर्चों का भुगतान करना होगा। विशेष मामलों में, समतुल्य भारतीय रुपये में शुल्क का भुगतान करने पर विचार किया जा सकता है।

क्र.सं.	विवरण	आवधिकता	US \$ में राशि
1.	सावधानी जमा (रिफंडेबल)	एक बार	200

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

2.	पीएचडी के लिए आवेदन पंजीकरण और प्रसंस्करण शुल्क	एक बार	50
3.	पीएचडी थीसिस मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन के लिए परीक्षा शुल्क	एक बार	1000/200
4.	पाठ्यक्रम कार्य के लिए परीक्षा शुल्क	एक बार	50 per paper
5.	छात्रावास एवं मेस शुल्क (प्रति सेमेस्टर)	प्रत्येक सेमेस्टर	500
6.	चिकित्सा शुल्क	पी.ए (प्रति वर्ष)	50
7.	सामान्य मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी	विश्वविद्यालय में रहने की पूर्र व्यवस्था की जाएगी।	ो अवधि के लिए छात्र द्वारा

- 1. विदेशी छात्रों के पीएचडी प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम शुल्क और अन्य शुल्क का भुगतान सशर्त चयन पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। फीस भुगतान सत्यापित और पृष्टि होने के बाद ही अनंतिम प्रवेश पत्र भेजा जाएगा।
- 2. सभी छात्रों को प्रवेश के समय एकत्र किए गए 30,000/- रुपये की एक बार की सावधानी जमा राशि का भुगतान करना आवश्यक है जो पाठ्यक्रम पूरा होने/पाठ्यक्रम छोड़ने के बाद वापसी योग्य है, यदि कोई हो तो, वसूली के अधीन है।
- 3. सेमेस्टर शुल्क (यूजी और पीजी कार्यक्रमों के लिए) ट्यूशन शुल्क के लिए है और इसमें आम तौर पर कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अन्य शुल्क शामिल होते हैं और इसमें ब्याज मुक्त एक बार का सावधानी जमा और परीक्षा शुल्क की तरह अलग से ली जाने वाली अन्य फीस शामिल नहीं होती है।
- 4. विश्वविद्यालय अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/विदेशी नागरिकों की श्रेणियों के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए उच्च सेमेस्टर/वार्षिक शुल्क निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 5. सेमेस्टर/वार्षिक शुल्क भारतीय स्टेट बैंक के आई-कलेक्ट के माध्यम से या धन हस्तांतरण के किसी इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन मोड के माध्यम से या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किसी अन्य तरीके से देय होगा।
- 6. किसी भी कार्यक्रम के पहले सेमेस्टर के लिए, छात्र को प्रवेश देने से पहले सेमेस्टर से संबंधित पूर्ण सेमेस्टर शुल्क एकत्र किया जाएगा। किसी भी छात्र को किसी भी परिसर में किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि पहले सेमेस्टर से संबंधित सेमेस्टर शुल्क का पूरा भुगतान नहीं किया गया हो।
- दूसरे सेमेस्टर से, सेमेस्टर की फीस सेमेस्टर के शुरुआती दिन पर देय होगी।
- यदि सेमेस्टर फीस/वार्षिक फीस का पूरा भुगतान सेमेस्टर/वर्ष के शुरुआती दिन के 15 दिनों के भीतर किया जाता है, तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
- 9. सेमेस्टर/वर्ष के आरंभिक दिन से 16वें दिन से 45वें दिन के बीच सेमेस्टर शुल्क/वार्षिक शुल्क के देर से भुगतान के लिए जुर्माना रु. 200/- प्रति दिन होगा, भले ही सेमेस्टर फीस/वार्षिक फीस का आंशिक भुगतान 15 दिनों के भीतर किया गया हो।
- 10. 10. संबंधित परिसरों में प्रस्तावित यूजी और पीजी कार्यक्रमों के छात्रों से सेमेस्टर फीस का पूर्ण और समय पर एकत्र करने को सुनिश्चित करना परिसर निदेशक की जिम्मेदारी होगी। वह विभाग के साथ-साथ छात्रावास के नोटिस बोर्ड पर उन बकाएदारों की सूची प्रदर्शित करेगा, जिन्होंने 15 दिनों के भीतर अपनी सेमेस्टर फीस का पूरा भुगतान नहीं किया है। वह न केवल चूककर्ताओं को बल्कि उनके माता-पिता को भी लिखित रूप में व्यक्तिगत नोटिस देगा और उन्हें चेतावनी देगा कि चूककर्ताओं के नाम विश्वविद्यालय के रोल से हटा दिए जाएंगे और यदि वे भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है। सेमेस्टर फीस और जुर्माना सेमेस्टर के शुरुआती दिन से 45 दिन पहले पूरा भुगतान करना होगा।
- 11. यदि यूजी/पीजी छात्रों द्वारा सेमेस्टर फीस का कोई भी हिस्सा देय जुर्माने के साथ सेमेस्टर के शुरुआती दिन से 45 दिनों के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता है, तो बकाएदारों के नाम विश्वविद्यालय के रोल से हटा दिए जाएंगे और 46वें दिन से छात्रावास/विश्वविद्यालय से उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी परिसर निदेशक की होगी। पीएच.डी./एम.एस. विद्वानों के लिए, वार्षिक शुल्क के भुगतान के लिए 45 दिनों से अधिक समय का विस्तार नहीं है। यदि वे वर्ष के शुरुआती दिन से 45 दिनों के बाद भी फीस का भुगतान करने में

विफल रहते हैं, तो अनुसंधान द्वारा पीएचडी/एमएस के लिए प्रासंगिक अध्यादेश के अनुसार उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

- 12. डिफ़ॉल्ट करने वाले छात्र (यूजी/पीजी) को सेमेस्टर में फिर से शामिल होने की अनुमित दी जा सकती है, यदि वह सेमेस्टर/वर्ष के शुरुआती दिन से 46वें से 75वें दिन के बीच, देय दंड के साथ सेमेस्टर शुल्क/वार्षिक शुल्क का पूर्ण रूप से भुगतान करता है और आगे रु. 10,000/- का पुनः प्रवेश पंजीकरण शुल्क का भुगतान करता है। इस अवकाश के कारण उपस्थिति में किसी भी कमी के लिए छात्र पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- 13. यदि डिफ़ॉल्ट करने वाला छात्र अवसर की इस अवधि का भी लाभ उठाने में विफल रहता है और सेमेस्टर के पहले दिवस से 75 दिनों के भीतर 10,000/- रुपए के पुनः प्रवेश पंजीकरण शुल्क के साथ देय दंड सहित सेमेस्टर शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो छात्र को अध्ययन में ब्रेक लेना होगा और अगले शैक्षणिक वर्ष में उसी सेमेस्टर/वर्ष में फिर से प्रवेश लेना होगा, बशर्ते कि वह सभी लंबित बकाया राशि का पूरा भुगतान कर दे और विश्वविद्यालय से लिखित रूप में पूर्व अनुमित प्राप्त कर ले।
- 14. विश्वविद्यालय के पास छात्र के साथ-साथ उसके माता-पिता से लंबित बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 15. यदि कोई छात्र अपने प्रवेश पंजीकरण शुल्क और कार्यक्रम शुल्क का भुगतान करने के बाद निर्धारित समय के भीतर पहले सेमेस्टर में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए परिसर में रिपोर्ट नहीं करता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पंजीकरण शुल्क और कार्यक्रम शुल्क के रिफंड का हकदार नहीं होगा।
- 16. यदि कोई छात्र अपने प्रवेश पंजीकरण शुल्क, कार्यक्रम शुल्क और पहले सेमेस्टर के लिए सेमेस्टर शुल्क/वार्षिक शुल्क का भुगतान करने के बाद विश्वविद्यालय से अपना नाम वापस ले लेता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में उसके द्वारा भुगतान की गई प्रवेश पंजीकरण शुल्क, कार्यक्रम शुल्क और सेमेस्टर फीस के रिफंड का हकदार नहीं होगा।
- 17. यदि कोई छात्र किसी अन्य सेमेस्टर के बीच में विश्वविद्यालय से नाम वापस ले लेता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में उसके द्वारा भुगतान की गई कार्यक्रम शुल्क और सेमेस्टर शुल्क के रिफंड का हकदार नहीं होगा। हालाँकि, छात्र के आवेदन पर, उसके खिलाफ सभी बकाया राशि काटने के बाद, सावधानी जमा राशि वापस की जा सकती है।
- 18. ऊपर बताई गई बातों के बावजूद, किसी भी छात्र को अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसने अपने सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया हो, निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया हो और 'कोई बकाया नहीं' प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो।'

ध्यान दें:

- 1. इस अध्यादेश में उल्लिखित शुल्क में जीएसटी शामिल नहीं है, इसलिए समय-समय पर संशोधित जीएसटी अधिनियम के अनुसार जहां भी लागू जीएसटी होगा वह जोड़ा जाएगा।
- 2. इस अध्यादेश में उल्लिखित शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जब तक कि अन्यथा व्यक्तिगत रूप से उल्लेख न किया गया हो
- 19.07.2018 को प्रकाशित आधिकारिक राजपत्र सं. 273 में प्रकाशित 2015 का अध्यादेश 18, शैक्षणिक वर्ष 2022-23 तक प्रवेशित मौजूदा बैच के छात्रों के उत्तीर्ण होने के बाद निरस्त कर दिया जाएगा।

2024 का अध्यादेश 02

[ईसी 2020-54-21 दिनांक 09.07.2020 को प्रसारण सं 05 दिनांक 08.12.2021 में ईसी एजेंडा 2021 के माध्यम से संशोधित किया गया और आगे ईसी 2023-72-14 दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से संशोधित किया गया।]

<u>"परीक्षाओं, दीक्षांत समारोहों और अन्य उद्देश्यों के लिए शुल्क और पारिश्रमिक" निर्धारित करता अध्यादेश</u>

क्रमांक	विवरण	शुल्क. रु.		
A) सा	A) सामान्य प्रवेश परीक्षा (CET)/सामान्य भर्ती परीक्षा (CRT) संबंधित शुल्क			
(i)	ऑनलाइन आवेदन शुल्क (सीईटी/नॉन-सीईटी) यूजी/पीजी/पीएचडी कार्यक्रम - सामान्य छात्रों के लिए:	रु. 1,000		

(ii)	ऑनलाइन आवेदन शुल्क (सीईटी/नॉन-सीईटी) यूजी/पीजी, पीएचडी	रु. 700
(,	कार्यक्रम - एससी/एसटी छात्रों के लिए:	\. F & &
(iii)	ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण शुल्क (बीबीए) - सामान्य छात्र	रु. 200
(iv)	ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण शुल्क (बीबीए) – एससी/एसटी छात्र	रु. 140
(v)	ऑनलाइन आवेदन शुल्क- (सीआरटी/नॉन सीआरटी) सभी पदों की भर्ती के लिए - सामान्य उम्मीदवार	रु. 1,000
(vi)	ऑनलाइन आवेदन शुल्क - (सीआरटी/नॉन सीआरटी) एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए सभी पदों की भर्ती के लिए ।	रु. 700

B) परीक्षा और अन्य संबंधित शुल्क

1) स्नातक/स्नातकोत्तर /डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

(सेमेस्टर और गैर-सेमेस्टर प्रणाली)

		देय परीक्षा शुल्क (बिना विलंब शुल्क के सामान्य कट	ऑफ तिथि पर या उससे पहले)	
(i)	प्रत्येक लिखित पेपर / प्रायोगिक / परियोजना / शोध प्रबंध / मौखिक परीक्षा में बकाया राशि और [पीएचडी / एमएस (अनुसंधान द्वारा) और बकाया के प्रत्येक पाठ्यक्रम कार्य परीक्षा के लिए शुल्क भी शामिल है]	रु. 500	रु.1000 + रु.500 विलंब शुल्क पर जीएसटी	
(ii)	बीएससी (एप्लाइड नॉटिकल साइंस - DLP) के लिए तीसरे, चौथे और पांचवें सेमेस्टर के लिए प्रत्येक प्रयास।	रु.4000 प्रति सेमेस्टर	रु. 8000 प्रति सेमेस्टर + रु.4000 प्रति सेमेस्टर विलंब शुल्क पर जीएसटी	
2) पी.एच	वडी. पाठ्यक्रम			
(i)	प्री-सिनॉप्सिस सेमिनार प्रस्तुति शुल्क	₹.	10,000	
(ii)	सारांश प्रस्तुतीकरण शुल्क		. 10,000.	
(iii)	थीसिस प्रस्तुतीकरण शुल्क	रु.	30,000.	
(iv)	मौखिक परीक्षा शुल्क	₹.	20,000.	
C) परीक्ष	ाओं से संबंधित अन्य शुल्क			
(i)	उत्तर पुस्तिका की फोटो प्रति प्राप्त करने वे	के लिए	रु. 80	
(ii)	किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए अभ्यर्थी के प्रत जोड़ की जाँच करने के लिए (प्रत्येक पेपर के लिए) -		रु. 250	
(iii)	प्रति पेपर पुनर्मूल्यांकन शुल्क		रु. 500	
(iv)	प्रति पेपर समीक्षा के लिए शुल्क		रु.5000	
(v)	प्रत्येक परीक्षा के प्रत्येक उपस्थिति के लिए अंकों का विवरण जारी करने के लिए		रु. 150	
(vi)	प्रत्येक परीक्षा के प्रत्येक उपस्थिति के लिए अंकों का डुप्लिकेट विवरण जारी करने के लिए		[रु. 200 + प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए रु.100 खोज शुल्क]	
(vii)	अंकों का समेकित विवरण		रु. 500	

(viii)	अनन्तिम प्रमाणपत्र	रु. 250
(ix)	डुप्लिकेट अनंतिम प्रमाणपत्र	रु. 500
(x)	प्रतिलेख शुल्क	
	- एक प्रति	रु. 1000
	- प्रत्येक अतिरिक्त प्रति	रु. 500
D) दीक्षां	ा त समारोह और अन्य संबंधित शुल्क	
(i)	पूर्वस्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री	
	- व्यक्तिगत रूप से/अनुपस्थिति में	रु. 1000
(ii)	पीएच.डी.	
	- व्यक्तिगत रूप से/अनुपस्थिति में	रु. 2,000
(iii)	कोई अन्य डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र	
	- व्यक्तिगत रूप से/अनुपस्थिति में	रु. 500
(iv)	डुप्लीकेट डिग्री	[रु. 1000 + प्रत्येक पिछले वर्ष
		के लिए रु.100 खोज शुल्क]
E) प्रवेश	पंजीकरण/परामर्श शुल्क और कार्यक्रम शुल्क/एक बार का पंजीकरण शुल्क	
(i)	एक बार का प्रवेश पंजीकरण / परामर्श शुल्क, जो भा.स.वि. परिसरों के सा	थ- रु. 10,000
	 साथ प्रबंधन / प्रायोजित उम्मीदवारों सहित संबद्ध संस्थानों के सभी नए छाः	त्रों,
	लेटरल एंट्री द्वारा दूसरे वर्ष में प्रवेश पाने वालों और पीएचडी उम्मीदवा द्वारा प्रवेश के समय देय है।	रों
	कोई भी उम्मीदवार, जिसे भा.स.वि. की काउंसलिंग के माध्यम से किसी	भी
	भा.स.वि. परिसर में किसी भी कार्यक्रम में सीट आवंटित की जाती है,	वह
	काउंसलिंग / प्रवेश पंजीकरण फीस के रिफंड के लिए पात्र नहीं है।	
	ऐसे उम्मीदवार के लिए जिन्हें भा.स.वि. परिसरों में किसी भी कार्यक्रम में स	गिट
	आवंटित नहीं की गई है, प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए 1000/- रु	
	की राशि राखी जाएगी और शेष राशि रु. 9000/- रूपये ही वापस वि	के ये
(ii)	कार्यक्रम शुल्क, भा.स.वि. परिसरों के साथ-साथ प्रबंधन/प्रायोजित उम्मीदवा	रों रु.
	और लेटरल एंट्री द्वारा दूसरे वर्ष में प्रवेश पाने वालों सहित संबद्ध संस्थानों	
	सभी डिप्लोमा, यू.जी और पी.जी छात्रों द्वारा हर वर्ष देय है।	
(iii)	बी.एससी (एप्लाइड नॉटिकल साइंस-DLP) के लिए एक बार का पु	नः र.30000
	पंजीकरण शुल्क- सितंबर <i>2020</i> से प्रभावी हैं।	
F) अन्य	फीस	'
i)	हाजिरी में कमी के लिए क्षमा शुल्क	राबर या उससे अधिक लेकिन 85%
	से कम उप	स्थिति बनाए रखने वाले छात्रों के
	लिए रु. 5,	000 । 75% के बराबर या उससे
	अधिक लेकि	ज्न 80% से नीचे उपस्थिति बनाए
	रखने वाले व	छात्रों के लिए रु. 10,000।

(ii)	ब्रेक-इन-स्टडीज़ के लिए पुनः प्रवेश शुल्क	1 वर्ष के ब्रेक के लिए रु. 2000; 2 वर्ष के ब्रेक
		के लिए रु. 5000 और 3 वर्ष के ब्रेक के लिए
		रु. 9000
(iii)		में रु. 500
	उम्मीदवारों के नाम या जन्मतिथि में परिवर्तन के लिए शुल्क	
(iv)	प्रवासन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए	रु. 500
(v)	डुप्लिकेट प्रवासन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए	रु. 1000
(vi)	प्रमाणपत्र की वास्तविकता के सत्यापन के लिए अनुरोध	रु. 1000
G) प्रश्न प	त्र तैयार करने वालों और संबंधित गतिविधियों के लिए पारिश्रा	मेक
(i)	प्रश्न पत्र की सेटिंग	
	सामान्य भर्ती परीक्षा (CRT)	रु. 5,000
	सामान्य प्रवेश परीक्षा (CET)	रु. 2,500
	विश्वविद्यालय परीक्षाएँ	रु. 1,500
(ii)	उत्तर कुंजी की तैयारी	
	सामान्य भर्ती परीक्षा (CRT)	रु. 5,000
	सामान्य प्रवेश परीक्षा (CET)	रु. 2,500
	विश्वविद्यालय परीक्षाएँ	रु. 1,500
(iii)	मॉडरेटर (अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए एकमुश्त राशि)	रु. 5,000
H) परीक्ष	ा कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक	
(i)	फ्लाइंग स्क्वाड	प्रति दिन रु. 1,500।
(ii)	मुख्य अधीक्षक	रु. 1500*
(iii)	पर्यवेक्षक [समूह A]	प्रति दिन रु. 1500*।
	पर्यवेक्षक [समूह B और C]	प्रति दिन रु. 1250*।
(v)	निरीक्षण/हॉल अधीक्षक (प्रति सत्र) - प्रत्येक 25 छात्रों के लिए।	प्रति सत्र रु. 500।
(vi)	सहायक लिपिक - प्रत्येक 100 छात्रों के लिए।	प्रति दिन रु. 200।
(vii)	परिचर - प्रत्येक 100 छात्रों के लिए।	प्रति दिन रु. 100।
(viii)	प्रायोगिक परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए पारिश्रमिक (रिकॉर्ड	रु. 15 प्रति छात्र - प्रत्येक आंतरिक और बाह्य
	और वाइवा सहित)।	परीक्षकों के लिए।
(ix)	यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए थीसिस/शोध प्रबंध और	शोध निबंध के लिए प्रति छात्र 150 रूपये और
	मौखिक परीक्षा के लिए परीक्षकों को पारिश्रमिक।	मौखिक परीक्षा के लिए प्रति छात्र 50 रूपये-
		प्रत्येक आंतरिक और बाह्य परीक्षकों के लिए ।
L	I.	, , ,

l) मूल्यां) मूल्यांकन और संबंधित कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक				
(i)	संयोजक/अध्यक्ष	रु. 1000 प्रति दिन (प्रति सेमेस्टर अधिकतम			
		5000 रुपये के अधीन)।			
(ii)	मूल्यांकन पारिश्रमिक	रु. 50 प्रति उत्तर स्क्रिप्ट (प्रति सत्र 25 उत्तर			
		स्क्रिप्ट या प्रति दिन 50 उत्तर स्क्रिप्ट की सीमा			
		के अधीन)।			
(iii)	सहायक लिपिक कर्मचारी	प्रति दिन 200 रूपये।			

(iv)	परिचर	प्रति दिन 100 रूपये।				
(.,,	। बडी कार्यक्रमों के लिए नियुक्त गाइड, सह-गाइड, भा.स.वि. संकाय					
, ,	भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक					
(1)	डॉक्टरेट समिति					
(i)	गाइड (भारतीय)	सारांश जमा करने के बाद 5,000 रुपये का				
		भुगतान किया जाना है; मौखिक परीक्षा पूरी				
		होने पर अन्य 5,000 रूपये।				
(ii)	सह-गाइड (भारतीय)	सारांश जमा करने के बाद 4,000 रुपये का				
		भुगतान किया जाना है; मौखिक परीक्षा पूरी				
		होने के बाद अन्य 4,000 रूपये।				
(iii)	गाइड या सह-गाइड (विदेशी)	आपसी सहमति अनुसार।				
(iv)	डॉक्टरेट समिति में भा.स.वि. संकाय सदस्य (गाइड या सह-	सारांश जमा करने के बाद 3,000 रुपए;				
	गाइड के अलावा)।	मौखिक परीक्षा पूरी होने के बाद अन्य 3,000				
(v)	डॉक्टरेट समिति में भा.स.वि. के बाहर के विशेषज्ञ	प्रति दिन 2,500 रुपए				
(2)	थीसिस निर्णयादेश					
(i)	बाह्य परीक्षक (भारतीय)	5,000 रुपए				
(ii)	बाह्य परीक्षक (विदेशी)	US \$750.				
(3)	मौखिक परीक्षा के परीक्षक (भारतीय)	2,500 रुपए				

- (*) यदि किसी विशेष परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या 10 से कम है, तो देय पारिश्रमिक 50% से कम हो जाएगा।
- इस अध्यादेश में उल्लिखित फीस में जीएसटी शामिल नहीं है, इसलिए समय-समय पर संशोधित जीएसटी अधिनियम के अनुसार जहां भी लागू होगा वहां जीएसटी जोड़ा जाएगा।
- इस अध्यादेश में उल्लिखित फीस तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जब तक कि अन्यथा व्यक्तिगत रूप से उल्लेख न किया गया हो

नोट: 21.06 2022 को प्रकाशित आधिकारिक राजपत्र संख्या 312 में प्रकाशित 2022 का अध्यादेश 01 निर्धारण वर्ष 2022-23 तक दाखिल मौजूदा बैच के छात्रों के उत्तीर्ण होने के बाद निरस्त कर दिया जाएगा।

2016 का संशोधित विनियमन 01 - खंड 6 (c) [ईसी 2024-76-06 दिनांक 11-03-2024)

"कुलपित को भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक/हाइब्रिड मोड के माध्यम से एसी बैठक के संचालन के तरीके को तय करने के लिए अधिकृत किया गया है, जैसा भी उचित समझा जाए। हालाँकि, एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो (02) भौतिक बैठकें होंगी।

ध्यान दें: 2016 के मौजूदा विनियमन 01 का पाठ - खंड 6 (सी) को ऊपर के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2016 का संशोधित विनियमन 03 - खंड 6 (c) [ईसी 2024-76-15 दिनांक 11-03-2024)

"कुलपित को भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक/हाइब्रिड मोड के माध्यम से ईसी बैठक के संचालन के तरीके को तय करने के लिए अधिकृत किया गया है, जैसा भी उचित समझा जाए।

नोट: 2016 के मौजूदा विनियमन 03 का पाठ - खंड 6 (सी) को ऊपर के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

एस.ओ.सार्वजनिक परिसर (अनिधकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार (एमओपीएसडब्ल्यू के तहत संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय) इसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के प्रत्येक परिसर द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक परिसरों के संबंध में निम्नलिखित अधिकारियों को संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, और उक्त अधिकारी उक्त अधिनियम के तहत या उसके तहत संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और दिए गए कर्तव्यों का पालन करेंगे।

क्र.सं	परिसर	पदनाम एवं विभाग	संपदा अधिकारी का नाम
	(1)	(2)	(3)
1	आईएमयू मुंबई पोर्ट परिसर	एई (सिविल), आईएमयू एनएमसी	श्री. अमन सोनी
		पदेन	
2	आईएमयू कोच्चि परिसर	एआर(एफ)/एआर/डीआर(आई/सी)	श्रीमती. के जे श्रीजा
		पदेन	
3	आईएमयू नवी मुंबई परिसर	एई (इलेक्ट्रिकल) पदेन	श्री. पाडी ब्रह्मय्या
4	आईएमयू विजाग परिसर	एई (सिविल) पदेन	श्री. प्रभात शर्मा
5	आईएमयू चेन्नई परिसर	एई (इलेक्ट्रिकल-मुख्यालय) पदेन	श्री. आर मणिकंदन
6	आईएमयू मुख्यालय	एई (सिविल) पदेन	श्री. वरुण कुमार

अधिकारियों के कार्यालय छोड़ने की स्थिति में, पद (कॉलम 2) धारण करने वाले पद संबंधित परिसर के पदेन संपदा अधिकारी होंगे।

उक्त नियुक्ति आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

के. सरवणन, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./249/2024-25]

INDIAN MARITIME UNIVERSITY NOTIFICATION

Chennai, the 10th June 2024

No. IMU/HQ/ADM/Notification/2023/01—In exercise of the powers conferred by Section 47 (1) of the Indian Maritime University Act, 2008 (22 of 2008), the following Notifications are published for general information:

#	Statute/ Ordinance/ Notification	Description	Executive Council Resolution
1	Statute 34(1)	Admission of Colleges, to the privilege of the University - Last date for submission of Letter of Intent (LoI) for affiliation with IMU.	Amended vide EC 2023-74-11 dated 12.12.2023
2	Ordinance No 1 of 2024	Semester fees payable by the students of IMU Campuses	Executive Council Resolution No.EC 2015-31-29 dated 26-06-2015 amended vide EC 2023-72-13 dated 26.06.2023.

3	Ordinance No 2 of 2024	Fees and Remuneration for Examinations convocation and various other purposes	EC 2020-54-21 dated 09.07.2020] amended vide EC Agenda 2021 in Circulation No 05 dated 08.12.2021 further amended vide EC 2023-72-14 dated 26.06.2023.
4	Regulation 01 of 2016	Regulations for the conduct of the meetings of the Executive Council	Amended vide EC- 2024-76-06 dated 11-03-2024.
5	Regulation 03 of 2016	Regulations for the conduct of the meetings of the Academic Council	Amended vide EC- 2024-76-15 dated 11-03- 2024.
6	Notification	Appointment of Estate Officer in respect of public premises controlled by each Campus of Indian Maritime University	Executive Council Resolution No. EC 2015-30-31 dated 25.02.2015

Note: In case of any discrepancy between English and Hindi version of this document, the English version shall prevail.

Amended Statute 34 (1) (iv)

[EC 2023-74-11 dated 12-12-2023)

Admission of Colleges, to the privilege of the University - Last date for submission of Letter of Intent (LoI) for affiliation with IMU.

S.No	Affiliation For:	Date of submission of LOI for August Batch	Date of submission of LOI for February Batch
1	Colleges and institutions desirous of admission to any privileges of the University shall be required to intimate their intention to do so in writing so as to reach the Registrar, date from which permission applied for is to have effect.	Not later than 15th August of the preceding year from which permission applied for is to have effect.	Not later than 15th January of the preceding year from which permission applied for is to have effect.
2	Colleges and institutions desirous of admission to non-DGS programmes shall be required to intimate their intention to do so in writing so as to reach the Registrar, date from which permission applied for is to have effect.	Not later than 15th December of the preceding year from which permission applied for is to have effect.	Not later than 15th July of the preceding year from which permission applied for is to have effect.
3	Colleges and institutions desirous of enhancement of sanctioned intake of any existing programme of the institute already affiliated to IMU shall be required to intimate their intention to do so in writing so as to reach the Registrar, date from which permission applied for is to have effect.	Not later than 15th December of the preceding year from which permission applied for is to have effect.	Not later than 15th July of the preceding year from which permission applied for is to have effect.

Note: The text of existing Statute 34(1) (iv) shall be replaced as above.

Ordinance 01 of 2024

[EC Resolution No.EC 2015-31-29 dated 26-06-2015 amended vide EC 2023-72-13 dated 26.06.2023.]

Ordinance prescribing Semester/Annual Fees and Penalty payable by the Students of IMU Campuses

1. The Semester Fees/Annual Fees payable by the students of the Indian Maritime University shall be as prescribed by the Executive Council from time to time. The Semester/Annual Fees that will be applicable to students of IMU Campuses joining first year from the **Academic Year 2023-24** onwards are as follows:

PART A- UG and PG Programmes

	Fees Payable by Students for various Programmes in IMU					
				Fee	e Payable per Se	emester
			Total Fees	Old Samastan B		Even
Sl.		Residential/	For an	Odd Semester Semester		
No.	Programme	Non	Academic	Program	Semester	Semester
		Residential	Year (Rs.)	Fee (Rs.)	Fee (Rs.)	Fee

						(Rs.)
1.	B.Tech. (MarineEngineering)	Residential	2,75,000/-	30,000/-	1,22,500/-	1,22,500/-
2.	B.Tech. (Naval Architecture andOcean Engineering)	Residential	2,75,000/-	30,000/-	1,22,500/-	1,22,500/-
3.	B.Tech. (Naval Architecture andShip Building)	Residential	2,75,000/-	30,000/-	1,22,500/-	1,22,500/-
3.	B.Sc. (Nautical Science)	Residential	2,75,000/-	30,000/-	1,22,500/-	1,22,500/-
4.	BBA (Logistics,Retailing and E- Commerce)	Non- Residential	1,05,000	30,000/-	25,000/-	50,000/-
5.	BBA Apprenticeship embedded Maritime Logistics	Non- Residential	1,05,000	30,000/-	25,000/-	50,000/-
6.	DNS leading to B.Sc. (Applied Nautical Science)	Residential	2,75,000/-	30,000/-	1,22,500/-	1,22,500/-
7.	M.Tech. (NavalArchitecture andOcean Engineering)	Non- Residential	2,05,000/	30,000/-	87,500/-	87,500/-
8.	M.Tech. (Dredging& Harbour Engineering)	Non- Residential	2,05,000/-	30,000/-	87,500/-	87,500/-
9.	M.Tech. (MarineTechnology)	Non- Residential	2,05,000/-	30,000/-	87,500/-	87,500/-
10.	MBA (International Transportation & Logistics	Non- Residential	2,05,000/-	30,000/-	87,500/-	87,500/-
11.	MBA (Port &Shipping Management)	Non- Residential	2,05,000/-	30,000/-	87,500/-	87,500/-
12.	PGDME	Residential	3,55,000/-	30,000/-	1,62,500/-	1,62,500/-
13.	M.S. (By Research)	Non- Residential	1,80,000/-	30,000/-	1,50,000	per year

Note: If an outstation student of a 'Non-Residential programme' wishes to reside in an IMU Campus (subject to availability and at IMU's discretion), he/she will be required to pay an additional amount of Rs.70,000/- p.a. in one instalment at the beginning of the academic year.

PART B- Ph.D Programmes

Ph.D. Programme - Full Time:

Sl. No.	No. of years details	Fees (in Rs)
1	First 3 years	30,000 per year
2	4 th Year & 5 th Year	40,000 per year
3	6 th Year	50,000
4	Extension to 7 th & 8 th Year	75,000 per year
5	Extension to 9 th & 10 th year (Only for Female/Persons with Disabilities)	1,00,000 per year

Ph.D. Programme - Part Time:

Sl. No.	No. of years details	Fee (in Rs)
1	First 4 years	60,000 per year
2	5 th Year & 6 th Year	75,000 per year
3	Extension to 7 th & 8 th Year	1,00,000 per year
4	Extension to 9 th & 10 th year (Only for Female/Persons with Disabilities)	1,50,000 per year

Integrated Ph.D. Programme - Full time:

Sl. No.	No. of years details	Fees (in Rs)
1	First 4 years	30,000 per year
2	5 th Year & 6 th Year	40,000 per year
3	Extension to 7 th Year	50,000
	Extension to 8 th Year	75,000
4	Extension to 9 th & 10 th year (Only for Female/Persons with Disabilities)	1,50,000 per year

Integrated Ph.D. Programme - Part Time:

Sl. No.	No. of years details	Proposed Fees (in Rs)
1	First 5 years	60,000 per year
2	6 th Year & 7 th Year	75,000 per year
3	Extension to 8 th Year	1,00,000
4	Extension to 9 th & 10 th year (Only for Female/Persons with Disabilities)	1,50,000 per year

Fees for Foreign students for Ph.D. programme:

To pay a prescribed fee of US\$ 2000 per year + other expenses as given in the table below. In special cases, payment of fees in the equivalent Indian Rupees may be considered.

Sl.	Particulars	Periodicity	Amount in US \$
No.			
1.	Caution Deposit (refundable)	One time	200
2.	Application for Ph.D. Registration and Processing	One time	50
	Fee		
3.	Examination fee for Ph.D. thesis Evaluation/re-evaluation	One time	1000/200
4.	Examination fees for course work	One time	50 per paper
5.	Hostel and Mess Fee (per semester)	Every Semester	500
6.	Medical Fee	P.A (Per Annum)	50
7.	General Mediclaim Insurance Policy	To be arranged by the student for the for	ull duration of stay at the University.

The course fee and the other fees for Foreign students' Ph.D admission should be paid immediately after receiving the conditional letter of selection. The provisional admission letter will be sent only after the payment of fees is verified and confirmed.

- All the students are required to pay a one-time Caution Deposit of Rs.30,000/- collected at the time of
 admission which is refundable after completion of the course/discontinuing the course, subject to recovery, if
 any.
- 3. The Semester Fees (For UG and PG programmes) is towards tuition fee and normally include other fees essential to attain the purpose of the programme and does not include the interest free one-time caution deposit and other fees charged separately like examination fees.
- 4. The University reserves the right to prescribe higher Semester/Annual Fees for students admitted under the Non-Resident Indians/Persons of Indian Origin/Foreign Nationals categories.

- 5. The Semester/Annual fees shall be payable through State Bank of India's I-Collect or through any Electronic/Online mode of transfer of funds or in such other manner as may be prescribed by the University.
- 6. For the first semester of any Programme, the full Semester Fees relating to the semester shall be collected before admitting the student. No student shall be admitted to any Programme in any Campus unless the Semester Fees relating to the first semester have been paid in full.
- 7. From the second semester onwards, the Semester Fees shall be due on the opening day of the semester.
- 8. If the Semester Fees/Annual Fees are paid in full within 15 days of the opening day of the semester/year, there shall be no penalty.
- 9. The penalty for late payment of the Semester Fees/Annual Fees between the 16th day & the 45th day from the opening day of the semester/year shall be @Rs.200/- per day even if the Semester Fees/Annual fees had been paid in part within 15 days.
- 10. It shall be the responsibility of the Campus Director to ensure the full and timely collection of the Semester Fees from the students of UG and PG programmes offered in the respective Campuses. He shall display on the Notice Board of the Department as well as the Hostel, the list of defaulters who did not pay their Semester fees in full within 15 days. He shall further give individual notices in writing not only to the defaulters but also their parents warning them that the defaulters' names are liable to be removed from the University rolls and that they are liable to be expelled from the hostel if they do not pay the Semester Fees together with the Penalty payable in full before 45 days of the opening day of the semester.
- 11. If any part of the Semester Fees together with the Penalty payable remains unpaid by UG/ PG students even after 45 days from the opening day of the semester, the names of the defaulters shall be removed from the rolls of the University and they shall be expelled from the hostel/university with effect from the 46th day. It shall be the responsibility of the Campus Director to ensure the same. For Ph.D/M.S scholars, there is no extension of time beyond 45 days for payment of annual fees. If they fail to pay the fees even after 45 days from the opening day of the year, their registration will be cancelled as per the relevant ordinance for Ph.D/M.S by Research.
- 12. The defaulting student (UG/PG) may be permitted to re-join the semester if, between the 46th and the 75th day from the opening day of the semester/year, he pays the Semester Fees/Annual Fees together with the Penalty payable in full and further pays a re-Admission Registration Fee of Rs.10,000/-. The student shall be solely responsible for any shortfall of attendance due to this break.
- 13. If the defaulting student fails to avail of even this window of opportunity and does not pay the Semester Fees together with the Penalty payable in full along with the re-Admission Registration Fee of Rs.10,000/- within 75 days from the opening day of the semester, then the student will have to suffer a break in study and re-join the same semester/year in the following academic year provided he clears all the pending dues in full and after obtaining the prior permission in writing from the University.
- 14. The University reserves the right to initiate legal action for recovery of the pending dues from the student as well as his parents.
- 15. If a student after paying his Admission Registration Fee and Programme Fee does not report at the Campus to join the Programme in the first semester within the time prescribed, then he shall not be entitled to the refund of the Admission Registration Fee and the Programme Fee under any circumstances.
- 16. If a student after paying his Admission Registration Fee, Programme Fee and the Semester Fees/Annual Fees for the first semester withdraws from the University, then he shall not be entitled to the refund of the Admission Registration fee, Programme Fee and the Semester Fees paid by him under any circumstances.
- 17. If a student withdraws from the University in the middle of any other semester, then he shall not be entitled to the refund of the Programme Fee and Semester Fees paid by him under any circumstances. However, the Caution deposit is refundable, on an application from the student, after deducting all the dues against him.
- 18. Notwithstanding what is stated above, no student shall be allowed to appear in the end-semester examination unless he has cleared all his dues, paid the prescribed Examination Fee, and produced a 'No dues' certificate."

Note:

- 1. Fees mentioned in this ordinance are exclusive of GST, hence applicable GST will be added wherever applicable as per GST Act, as amended from time to time.
- 2. Fees mentioned in this ordinance will come into force with immediate effect, unless otherwise mentioned individually

The Ordinance 18 of 2015 published in the Official Gazette No. 273 published on 19.07.2018 shall be repealed after the passing out of the existing batch students admitted till AY 2022-23.

Ordinance 02 of 2024

[EC 2020-54-21 dated 09.07.2020 amended vide EC Agenda 2021 in Circulation No 05 dated 08.12.2021 further amended vide EC 2023-72-14 dated 26.06.2023.]

Ordinance prescribing "Fees and Remuneration for Examinations, Convocations and other purposes"

Sl.	Particulars Particulars	Fees. Rs.			
No.					
	A) Common Entrance Test (CET)/ Common Recruitment Test (CRT) related fees				
(i)	Online Application Fee (CET/Non-	Rs. 1,000			
	CET) UG/PG/Ph.D Programmes -				
	for General Students:				
(ii)	Online Application Fee	Rs. 700			
	(CET/Non-CET) UG/PG, Ph.D				
	Programmes - for SC/ST Students:				
(iii)	Online Application/Registration Fee (BBA) –	Rs. 200			
	General Students				
(iv)	Online Application/Registration Fee (BBA) –	Rs. 140			
	SC/ST Students				
(v)	Online Application Fee- (CRT/Non CRT) for	Rs. 1,000			
	recruitments of all posts - General candidates				
(vi)	Online Application Fee – (CRT/Non-CRT) for	Rs. 700			
	recruitments of all posts for SC/ST candidates				

B) Examination and other related fees

1) U) Under Graduate / Post Graduate / Diploma / Certificate Courses				
	(Semester and Non-Semester system)				
		Exam Fee payable (on or before normal cut-off date without late fee)	Exam Fee payable (after normal cut-off date but on or before cut-off date with late fee)		
(i)	Each written Paper / Practical / Project / Dissertation / Viva Voce including Arrears and [also Includes Fee for each course work exam of Ph.D / MS (By Research) & arrears]	Rs. 500	Rs.1000 + GST on late fee of Rs.500		
(ii)	Each attempt for 3rd, 4th & 5th Semester for B.Sc (Applied Nautical Science – DLP).	Rs. 4000 per Semester	Rs. 8000 per semester + GST on late fee of Rs.4000 per semester		
2) Ph	.D Courses				
(i)	Pre-Synopsis Seminar presentation fee	Rs.	10,000		
(ii)	Synopsis submission fee	Rs.	10,000.		
(iii)	Thesis submission fee	Rs. 30,000.			
(iv)	Viva Voce fee	Rs. 20,000.			
C) Ot	C) Other fees related to Examinations				
(i)	For obtaining Photo copy of Answer	Script	Rs. 80		

(ii)	For checking the addition of the marks in each paper of a candidate for any University exam (for each paper) - Re-totaling	Rs. 250
(iii)	Revaluation fee per paper	Rs. 500
(iv)	Fee for Review Per Paper	Rs.5000
(v)	For issuing statement of marks for each examination each appearance	Rs. 150
(vi)	For issue of duplicate statement of marks for each examination each appearance	[Rs. 200 + Rs.100 search fee for each previous year]
(vii)	Consolidated statement of marks	Rs. 500
(viii)	Provisional Certificate	Rs. 250
(ix)	Duplicate Provisional certificate	Rs. 500
(x)	Transcript fee	
	- One copy	Rs. 1000
	- Every additional copy	Rs. 500
D) Con	vocation and other related fees	
(i)	Under Graduate/Post Graduate degrees	
	- In person / In absentia	Rs. 1000
(ii)	Ph.D.	
	- In person/ In absentia	Rs. 2,000
(iii)	Any other degree/diploma/certificate	
	- In person / In absentia	Rs. 500
(iv)	Duplicate Degree	[Rs.1000 + Rs.100 search fee for each previous year]

E) Admission Registration/Counselling Fee and Programme Fee/One time Registration Fee

(i)	One-time Admission Registration / Counselling fee, payabl Admission by all new students of IMU Campuses as well Institutes including management / sponsored candidates, t admission into 2nd year by Lateral Entry, and Ph.D ca	Rs. 10,000	
	Any candidate, who is allotted a seat in any of the Program campuses through IMU's counselling, is not eligible for Counselling / Admission Registration Fee.		
	For candidate who is not allotted a seat in any of the Program IMU Campuses, an amount of Rs. 1000/- will be retained; administrative expenditure and the remaining balance of Rs. be refunded.	for meeting the	
(ii)	Programme Fee, payable every year by all <i>Diploma</i> , U.G and of IMU Campuses as well as Affiliated Institutes including sponsored candidates and those who get admission into 2nd year.	management /	Rs. 30,000.
(iii)	One time Re-Registration Fee for B.Sc (Applied Nautical Science – DLP)-w.e.f. September 2020.		Rs.30000
F) Oth	<u> </u>		
i)	Condonation Fee for Shortage of Attendance	below 85% a	for students maintaining qual to or above 80% but and Rs. 10,000 for students maintaining attendance ove 75% but below 80%.
(ii)	Re-admission Fee for Break-in-Studies	Rs. 2000 for	break of 1 year; Rs. 5000

		for break of 2 years and Rs. 9000 for break of 3 years.
(iii)	Fees for effecting change of names or date of birth of Candidates in the Records of the University and in Certificate/Diplomas	Rs. 500
(iv)	For obtaining a Migration Certificate	Rs. 500
(v)	For obtaining duplicate Migration certificate	Rs. 1000
(vi)	Request for verification of genuineness of certificate	Rs. 1000
, ,	uneration for Question Paper setters and related activities	
(i)	Question Paper Setting	
()	Common Recruitment Test (CRT)	Rs. 5,000
	Common Entrance Test (CET)	Rs. 2,500
	University examinations	Rs. 1,500
(ii)	Preparation of Answer Key	
(11)	Common Recruitment Test (CRT)	Rs. 5,000
	Common Entrance Test (CET)	Rs. 2,500
	University examinations	Rs. 1,500
(iii)	Moderators (lumpsum amount per End Semester Examination)	Rs. 5,000
		per
H) Rem	uneration for examination duties	
(i)	Flying Squad	Rs. 1,500 per day.
(ii)	Chief Superintendent	Rs. 1500*
(iii)	Observer [Group A]	Rs. 1500* per day.
(iv)	Observer [Group B & C]	Rs. 1250* per day.
(v)	Invigilation / Hall Superintendent (per session) - for every 25 students.	Rs. 500 per session.
(vi)	Supporting Clerical – for every 100 students.	Rs. 200 per day.
(vii)	Attender – for every 100 students.	Rs. 100 per day.
(viii)	Remuneration for evaluation of Practical Exams (incl. Record & Viva).	Rs. 15 per student - each for internal and external Examiners.
(ix)	Remuneration to Examiners for Thesis/Dissertation and Viva Voce for UG and PG Courses.	Rs. 150 per student for Dissertation and Rs. 50 per student for Viva Voce
		- Each for internal and external Examiners.

I) Remuneration for Evaluation and Related duties

(i)	Coordinators / Chairman	Rs. 1000 per day (subject to maximum of Rs.5000 per semester).	
(ii)	Evaluation Remuneration	Rs. 50 per answer script (subject to a ceiling of 25 answer scripts per session or 50 answer scripts per day).	
(iii)	Supporting Clerical staff	Rs. 200 per day.	
(iv)	Attender	Rs. 100 per day.	

J) Remuneration to be paid to Guides, Co-Guides, IMU Faculty Members, Experts and Examiners engaged for the Ph.D programmes

(1)	Doctoral Committee		
(i)	Guide (Indian)	Rs. 5,000 to be paid after submission of Synopsis; another Rs. 5,000 after completion of Viva Voce.	
(ii)	Co-Guide (Indian)	Rs. 4,000 to be paid after submission of Synopsis; another Rs. 4,000 after completion of Viva Voce.	
(iii)	Guide or Co-Guide (Foreign)	As mutually agreed.	
(iv)	IMU Faculty member (other than Guide or Co-Guide) on the Doctoral Committee	Rs. 3,000 after submission of Synopsis; another Rs. 3,000 after completion of Viva Voce.	
(v)	Experts outside IMU on the Doctoral Committee	Rs. 2,500 per <i>Day</i>	
(2)	Thesis Adjudication		
(i)	External Examiner (Indian)	Rs. 5,000.	
(ii)	External Examiner (Foreign)	US \$750.	
(3)	Viva Voce Examiner (Indian)	Rs. 2,500	

(*) If the number of students appearing in a particular Examination Centre is less than 10, then the Remuneration payable will stand reduced by 50%.

Fees mentioned in this ordinance are exclusive of GST, hence applicable GST will be added wherever applicable as per GST Act, as amended from time to time.

Fees mentioned in this ordinance will come into force with immediate effect, unless otherwise mentioned individually

Note: The Ordinance 01 of 2022 published in the Official Gazette No. 312 published on 21.06 2022 shall be repealed after the passing out of the existing batch students admitted till AY 2022-23.

Amended Regulation 01 of 2016 -Clause 6 (c)

[EC 2024-76-06 dated 11-03-2024)

Regulations for the conduct of the meetings of the Executive Council

"The Vice Chancellor is authorized to decide the mode of conduct of the EC meeting either through physical/electronic / hybrid mode, as deemed it fit. However, there shall be at least two (02) physical meetings in a calendar year".

Note: The text of existing Regulation 01 of 2016 –Clause 6 (c) shall be replaced as above.

Amended Regulation 03 of 2016 -Clause 6 (c)

[EC 2024-76-15 dated 11-03-2024)

Regulations for the conduct of the meetings of the Academic Council

"The Vice Chancellor is authorized to decide the mode of conduct of the AC meeting either through physical/electronic / hybrid mode, as deemed fit."

Note: The text of existing Regulation 03 of 2016 – Clause 6 (c) shall be replaced as above.

MINISTRY OF PORT SHIPPING AND WATERWAYS NOTIFICATION

S.O. In exercise of the powers conferred by section 3 of Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971(40 of 1971), the Central Government(Indian Maritime University, established by an Act of Parliament Under MoPSW) hereby appoints the following officials as Estate Officer in respect of public premises

controlled by each Campus of Indian Maritime University for the purpose of the said Act, and the said officers shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on Estate Officer by or under the said Act.

Sl.No.	Campus (1)	Designation & Department (2)	Name of the Estate officer (3)
1	IMU Mumbai Port Campus	AE(Civil), IMU NMC Ex-officio	Shri. Aman Soni
2	IMU Kochi Campus	AR(F)/AR/DR(i/c) Ex-officio	Smt. K J Sreeja
3	IMU Navi Mumbai Campus	AE(Electrical) Ex- officio	Shri. Padi Brahmayya
4	IMU Vizag Campus	AE(Civil) Ex-officio	Shri. Prabhat Sharma
5	IMU Chennai Campus	AE(Electrical-HQ) Ex-officio	Shri. R Manikandan
6	IMU Headquarters	AE(Civil) Ex-officio	Shri. Varun kumar

In case of the officials leaving the office, the designations who are holding the office (column 2) will be ex-officio Estate officers of the respective campus.

The said appointment shall come into effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

K. SARAVANAN, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./249/2024-25]